


A-5/27/16/16/5 विषय:- रहा की. 19187/15 असे महिमा क्रिया का क्रिया कर माना छब्बीस-२ सचिवालय ER A is कृपया अवर सचिव म.प्र. शासन, कृषि विभाग द्वारा प्राप्त Majerials Maria/50(12)3 नोटशीट कमांक-यूओ. नं0-30/2016/14-3 दिनांक 04.02.2016 प्रकरण कमांक <u>डब्ल्यू पी.-19187 / 2015</u> सुरेश कुमार परते विरूद्ध म०प्र० शासन एवं अन्य में प्रभारी अधिकारी नियुक्ति हेतु प्रस्ताव चाहा गया है.। जिसके लिए कार्यालयीन पत्र कमांक /बोर्ड /विधि/ के-34 जव. / 15 / 142 दिनांक 29.1.2016 द्वारा प्रतिवादी कमांक एक की ओर से पक्ष समर्थन करने हेतु संयुक्त संचालक / उपसंचालक म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय, जवलपुर को प्रभारी 37 1 अधिकारी नियुक्त करने हेतु प्रस्ताव एवं प्रभारी अधिकारी नियुक्ति आदेश प्रारूप नस्ती में सलग्न कर एकल नस्ती मूलतः प्रेषित है। कृपया उक्त प्रतिवादी की ओर से प्रतिरक्षण हेतु भी महाधिवक्ता कार्यालय को विधि विभाग से निर्देश जारी कराये जाने का निवेदन किया जाना उचित होगा। संयुक्त संचालक, अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग. M. 252-11 भिम्द्र निक्षिण का महिंद है से कि विम क्रिकारी विवृद्धि क्राइरा क्रायान विकल्पा नाम राज्य भारताथ 31 थमा दयार Norsk **कि वक्षामलाकित** शाकेमुभी 196 - उनिशाकेमुभी-17-7-15-5,00,000 US (S.D) S=3 &2



St- 5/ 27/2016/14-8 h-विषय: - रम : के 19187 । जी मिर् मिर्म के मिर्म क छब्बीस-२ सचिवालय मितरकाष्ट्र आवेश नारी कर प्रति विकास कालाग तमाकाष भामतामामाम ।

## JABALPUK

ocess Id: 207562/2015

WP/19187/2015

From

Kishore Pithawe Deputy Registrar, High Court of Judicature at Jabalpur Adm. and I.R. Fixed for 25-01-2016 WP-DA-7 Respondent No. 2

To,

M.d. M.p. Rajya Krishi Vipran Board, 26 Arera Hills Kisan Bhawan, Jail Road, Bhopal, District- Bhopal (MADHYA PRADESH),

Jabalpur 26-12-2015


Sub: Notice to Respondent No. 2 in writ Petition(Mandamus/Prohibition/ Certiorari/Quo Warranto) No. WP/ 19187/ 2015


Sir/Madam,

I am directed to inform you that one Suresh Kumar Parate has filed a petition under Article 226 of the Constitution of India (Copy enclosed) in this Court, and the same is registered as Writ Petition (Mandamus/ Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. WP/19187/2015

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged Advocate on or before 25-01-2016. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and decided exparte.

6/7





Your faithfully

DEPUTY REGISTRAR

ale >

## मध्यप्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, भोपाल

कमांक / डी दो १५/१७। ६ । ५ १ आदेश / /

भोपाल दिनांक 4-3-16

सिविल प्रकिया संहिता 1908 (1908 का अधिनियम संख्याक—5) आदेश सत्ताईस के नियम) तथा 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए प्रकरण कमांक डब्ल्यू पी. —19187/2015 सुरेश कुमार परते पिता हरनाम सिंह परते, सिवव मण्डी सिमिति चौरई जिला—छिन्दवाड़ा विरूद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य में संयुक्त संचालक/ उपसंचालक, म. प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचिलक कार्यालय, जबलपुर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाता है, में मध्यप्रदेश राज्य के लिए तथा उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवचनों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने के लिए तथा कार्य करने आवेदन करने और उप संजात होने के लिए नियुक्त करते है। प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि मध्यप्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति के तुरन्त पश्चात् अन्य बातों के साथ ऐसी रीति में जिसके ब्योरे नीचे दिये गए है, निम्नलिखित कार्य करेगा:—

1. प्रभारी अधिकारी तथ्यों के बारे में तुरंत ऐसी जॉच करेगा जैसी की आवश्यक हो और याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनमें की मामले के संचालन में महाधिवक्ता/शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुँचने की संभावना है, रिपोर्ट तैयार करेगा। यदि किसी प्रकरण पर विधि विभाग से परामर्श किया गया था, तो उस विभाग की राय भी रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप से निर्दिष्ट की जाएगी।

2. समस्त सुसंगत फाइले, दस्तावेज नियम, अधिसूचनाएँ तथा आदेश एकत्रित करेगा।

- 3. वाद पत्र/याचिका में उठाये गए समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुये, जिनमें की शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुँचने की संभावना है, एक रिपोर्ट तैयार करेगा।
- 4. उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से सम्पर्क करेगा।
- 5.शासकीय अधिवक्ता के सहायता से लिखित कथन तैयार करवाएगा।
- 6. शासकीय अधिवक्ता की सहायता।
- 7. प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागज पत्र भेजेगा :-
  - (क) वाद पत्र की एक प्रति के साथ सरकार की एक रिपोर्ट।
  - (ख) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप।
  - (ग) उन सभी दस्तावेजों की एक सूची जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाईल करना ————— प्रस्तावित है, और जिनकी रिपोर्ट में अपेक्षा की गई है।
- (घ) मामले के विरूद्धीकरण के लिये आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियाँ इसमें वाद की सुनवाई की तारीख भी वर्णित होनी चाहिये।
- मामले की तैयारी और संचालन करने की शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना और मामले उसे प्रकम और प्रगति के लिये किये गये कर्तव्यों से स्वयं को सदैव ही अवगत रखना।
- 9. जब भी कोई आदेश / निर्देश विशिष्टतया मध्यप्रदेश राज्य के विरुद्ध पारित किया जाता है तब विधि विभाग को सूचित करना तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिये उसी दिन या आगामी कार्य दिवस का आवेदन करना।
- 10. अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश / निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किए जाने के लिये इस विभाग को भेजना।

11. यह देखना है कि आवेदन करने में ताकि प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने, राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में समय नष्ट नहीं हो।

12. जैसे ही उसे अपना स्थानांतरण आदेश प्राप्त होता है वह अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा। वह वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात् भी तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा, जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाये।

13. प्रभारी अधिकारी मामले तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा तथा इस बावत के लिये उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य या दस्तावेज अप्रकाशित / छुपी हुई नहीं रह जाये।

14. प्रभारी अधिकारी, नाम दिनांक अभियोजक मुकर्रर है तो वह, जैसे ही वाद का विनिश्चय होता है परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार को करेगा। निर्णय की एक प्रति अभी प्राप्त की जाए और रिपोर्ट के साथ भेजी जाए।

15. प्रभारी अधिकारी या अन्य यदि लोक अभियोजन मुकर्रर है तो वह इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि उन मामलों में जहाँ किसी वाद के प्रकरण में पारित किये गये किसी अंतिम आदेश का पुनरीक्षण अपेक्षित है समय पर कार्यवाही की गई है। अतएव वह उस आदेश की प्रति जैसे ही वह पारित किया जावे विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपना अनुशंसा के साध(सरकार) प्रशासकीय विभाग को अग्रेषित करें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(अवर सचिव)

्रिंग्स्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि

विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल भोपाल दिनांक 4.3.16

कमांक / डी प्रेन | 2016 | 14-5 प्रतिलिपि:-

महाधिवक्ता / अतिरिक्त महाधिवक्ता / उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर ।

2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल।

प्रबन्ध संचालक म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।

संबंधित जिलाध्यक्ष िछन्दवाड़ा मध्यप्रदेश।

5. संयुक्त संचालक / उपसंचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय जबलपुर म.प्र. प्रमारी अधिकारी की ओर अग्रेषित। साथ ही शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करने और उपस्थिति प्रमाण—पत्र प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने तथा अपनी प्रत्येक भेंट (विजिट) पर शासकीय अधिवक्ता से आगे की कार्यवाही के लिये सलाह करने और मामले में अपनी प्रगति रिपोर्ट के साथ उसे उनके विभागाध्यक्ष को सलाह करने और मामले में अपनी प्रगति रिपोर्ट के साथ उसे उनके विभागाध्यक्ष को भेजने हेतु अग्रेषित। मामले की प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति इस विभाग के साथ विधि विभाग को आवश्यक रूप से भेजी जावे। मामले की सुनवाई तारीख

9511 6 हेतु नियत की गई है।

(अवर सचिव)

मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल